LIC's
जन सुरक्षा
(नॉन पार, नॉन लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, जीवन सूक्ष्म बीमा प्लान)

UIN: 512N388V01 | PLAN NO: 880

छोटा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा.

प्रमुख ख़ूबियाँ
- जीवन सूक्ष्म बीमा योजना
- सीमित प्रीमियम प्लान
- 3 पूर्ण वर्ष के प्रीमियम भुगतान के बाद ऑटो कवर
- पहले पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर पॉलिसी लोन
- पॉलिसी की पूरी अवधि में गैरंटीड एडिशन

योग्यता की शर्तें
a) न्यूनतम बीमा धन ₹1,00,000/-

b) अधिकतम बीमा धन ₹2,00,000/-

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

डाउनलोड कीजिए एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें फौलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC / MI / 2025-26 / 18 / Hin/SB

एलआईसी की जन सुरक्षा
(यूआईएन : 512N388V01)

(एक असहभागी, असेबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, सूक्ष्म जीवन बीमा योजना)

एलआईसी की जन सुरक्षा एक नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, जीवन सूक्ष्म बीमा योजना है, जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जीवित पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह योजना अपनी ऋण सुविधा के माध्यम से नकद राशि की आवश्यकता की पूर्ति भी करती है।

यह एक गारंटीकृत अभिवृद्धिया वाली एंडोमेंट योजना है, जो पॉलिसी शुरू होने से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगा। प्रीमियम का भुगतान सीमित प्रीमियम के रूप में किया जा सकता है।

यह एक नॉन–पार उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ गारंटीकृत और वास्तविक अनुभव से परे निर्धारित होते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन लाभ के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना को अभिकर्ताओं/अन्य मध्यस्थों, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से ऑफलाइन, और साथ ही वेबसाइट **www.licindia.in** से भी सीधे ऑनलाइन खरीदी जा सकती है।

भावी पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय संबंधित जोखिमों और हितलाभों सहित उत्पाद की विशेषताओं का संदर्भ ले सकते हैं और वे इस उत्पाद के अंतर्गत उसी उत्पाद/विकल्प का चयन करें, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त हो।

1. प्रमुख विशेषताएँ :

- जीवन सूक्ष्म बीमा योजना
- प्रीमियम का भुगतान सीमित प्रीमियम के रूप में किया जा सकता है।
- तीन पूर्णकृत वर्षों की प्रीमियम के भुगतान के बाद स्वत: बीमा–सुरक्षा
- पॉलिसी ऋण तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान के बाद उपलब्ध है।
- पूरे एक वर्ष का प्रीमियम अदा करने के बाद और पहले पॉलिसी वर्ष की पूर्णता के बाद पॉलिसी लोन उपलब्ध है।
- पॉलिसी अवधि के प्रारंभ से अंत तक अतिरिक्त गारंटीकृत अभिवृद्धिया का लाभ

2. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध :

ए)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	रु. 1,00,000
बी)	अधिकतम मूल बीमा राशि **प्रति जीवन** *	रु. 2, 00,000
सी)	मूल बीमा राशि गुणज	रु. 5000
डी)	प्रवेश पर न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पूर्णकृत)

ई)	प्रवेश पर अधिकतम आयु	55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) 53 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीओएसपी–एलआई सीपीएससी–एसपीवी से पॉलिसियाँ लिए जाने की स्थिति में
एफ)	परिपक्वता पर अधिकतम आयु	70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी से पॉलिसियाँ लिए जाने की स्थिति में
जी)	पॉलिसी अवधि	12 से 20 वर्ष
एच)	प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी)	पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष घटाकर

* यह योजना बिना किसी चिकित्सा जांच के केवल मानक स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत जारी सभी पॉलिसियों के अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन के लिए कुल मूल बीमा राशि रु. 2 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. हितलाभ:

ए) मृत्यु हितलाभ

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, **''मृत्यु पर बीमित राशि''** के साथ–साथ उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, देय होंगी।

जहाँ **''मृत्यु पर बीमित राशि''** को निम्नांकित में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है:

- वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना; या
- मूल बीमा राशि.

मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

''वार्षिक प्रीमियम'' पॉलिसीधारक द्वारा चयनित वर्ष में देय प्रीमियम होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगी।

''कुल भुगतान की गई प्रीमियम'' का अर्थ है आधार उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो।

बी) परिपक्वता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, **''परिपक्वता पर बीमित राशि''** के साथ संचित गारंटीकृत अतिरिक्त राशि देय होगी। जहाँ ''परिपक्वता पर बीमित राशि'' मूल बीमित राशि के बराबर होती है।

4. चालू पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि:

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत (जिसमें सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया है) गारंटीकृत पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अभिवृद्धियाँ अर्जित होंगी। भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ कुल वार्षिक प्रीमियम की 4.00% होंगी।

यदि कोई पॉलिसी अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट गारंटीकृत अभिवृद्धि दर में वृद्धि होने के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि(यों) के लिए पात्र है (अर्थात उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि, ऑनलाइन के लिए प्रोत्साहन राशि), तो पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि की लागू दर प्राप्त करने के लिए उपरोक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि दर को संबंधित प्रोत्साहन राशि(यों) द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी प्रोत्साहन राशियाँ योगात्मक प्रकृति की होती हैं, इसलिए यदि कोई पॉलिसी एक से अधिक प्रोत्साहन राशियों के लिए पात्र है, तो ऐसी सभी प्रोत्साहन राशियों को उपरोक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि दर में जोड़ा जाएगा।

एक पॉलिसी वर्ष में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, गारंटीकृत अभिवृद्धियों की लागू दर गुणित भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियमों के बराबर होंगी।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होंगी।

पूर्णत: चुकता पॉलिसी के मामले में, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, चालू पॉलिसी के लिए लागू दर पर अर्जित होती रहेंगी।

5. वैकल्पिक राइडर हितलाभ:

निम्नलिखित दो वैकल्पिक राइडर (या इनके संशोधित संस्करण) इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा दोनों में से किसी भी राइडर को चुना जा सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्याँगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02) :

प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय राइडर का विकल्प चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु (दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर) की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक दिव्याँगता (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियम के साथ-साथ मूल बीमा राशि के उस हिस्से की प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, को माफ कर दिया जाएगा। एलआईसी के दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN: 512B203V03) :

प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चालू पॉलिसी में किसी भी समय राइडर का विकल्प चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु

(दुर्घटना से 180 दिनों के भीतर) होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि एकमुश्त देय होगी। एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं हो सकती।

एलआईसी के दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्याँगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के लिए प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होना होगा।

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से ली जाने वाली पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी की निकटतम सूक्ष्म बीमा इकाई/शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

6. प्रीमियम भुगतान की विधि:

प्रीमियम भुगतान की स्वीकृत विधियाँ वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से मासिक प्रीमियम) या वेतन कटौती के माध्यम से हैं।

प्रीमियम भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक निम्नानुसार हैं:

प्रीमियम भुगतान की विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1.0000
अर्धवार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

वार्षिक विधि के अलावा अन्य विधि से देय प्रीमियम की गणना लागू प्रीमियम रूपांतरण कारक को प्राप्त वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके की जाएगी।

7. प्रोत्साहन राशियाँ:

(ए) उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि गारंटीड अभिवृद्धियों की दर में वृद्धि के रूप में अनुमत होगी। भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड अभिवृद्धियों के संबंध में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

मूल बीमा राशि	उच्च मूल बीमित राशि के लिए प्रोत्साहन राशि (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि)
रु. 1,00,000 से रु. 1,95,000 तक	शून्य
रु. 2,00,000	0.25%

(बी) ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन :

बिना किसी अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्णकृत प्रस्ताव ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होगा। यह प्रोत्साहन राशि गारंटीकृत

अभिवृद्धि दर में वृद्धि के रूप में दी जाएगी। गारंटीकृत अभिवृद्धि के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल वार्षिक प्रीमियम की 1.00% होगी।

8. नमूना प्रीमियम दरें:

अभिकर्ताओं/मध्यस्थों के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसी के लिए प्रति 1,00,000/- मूल बीमित राशि के लिए कुछ नमूना वार्षिक प्रीमियमें (लागू करों को छोड़कर, यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं:

(राशि रु. में)

आयु	पॉलिसी अवधि एवं प्रीमियम भुगतान अवधि		
	12 (7)	15 (10)	20 (15)
25	13,270	9,015	5,800
35	13,325	9,080	5,900
45	13,530	9,340	6,250
55	14,150	10,035	लागू नहीं

9. पीओएसपी-एलआई और सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजना:

यह योजना पीओएसपी-एलआई और सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदी जा सकती है। हालाँकि, ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें और अन्य नियम और शर्तें आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और विनियमों आदि के अनुसार होंगी, जो पीओएस योजनाओं और पीओएसपी-एलआई पर लागू हैं। वर्तमान में, पीओएसपी-एलआई और सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं:

- परिपक्वता पर अधिकतम आयु: निकटतम जन्मतिथि 65 वर्ष
- एलआईसी की जन सुरक्षा योजना पीओएस-लाइफ उत्पादों की असहभागी, असंबद्ध, एंडोमेंट श्रेणी की श्रेणी में आती है, यदि इसे पीओएसपी-एलआई या सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदा जाता है। असहभागी, असंबद्ध, एंडोमेंट उत्पादों की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि, यदि पीओएसपी-एलआई और सीपीएससी-एसपीवी चैनल (दोनों शामिल) के माध्यम से खरीदी जाती है, तो रु. 25 लाख होगी।

  इस उत्पाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वीकार्य मूल बीमा राशि रु. 2,00,000 होगी।
- पीओएसपी-एलआई/सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से ली जाने वाली पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।
- एलआईसी के जन सुरक्षा के लिए लागू मुख्य विशेषताएं दस्तावेज (केएफडी) सह प्रस्ताव प्रपत्र का उपयोग होगा, यदि विक्रय पीओएसपी-एलआई और सीपीएससी-एसपीवी द्वारा किया जाता है।

10. अनुग्रह अवधि:

प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि तथा मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि प्रदान की जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के

अनुसार बिना किसी अवरोध के जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के दिनों के पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल योजना की प्रीमियम के साथ देय है।

11. चुकता पॉलिसी:

यदि एक वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और पहले पॉलिसी वर्ष की पूर्णता पर किसी भी प्रीमियम को विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूरी तरह से निरस्त नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अपनी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी। हालाँकि, एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया है, निम्नांकित स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि लागू होगी।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमित राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा जिसे **''मृत्यु चुकता बीमा राशि''** कहा जाएगा और यह मृत्यु पर बीमित राशि के बराबर होगी, जिसे पहले ही भुगतान की जा चुकी प्रीमियमों की कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा और वह अधिकतम अवधि होगी जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमा राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा जिसे **''परिपक्वता चुकता बीमा राशि''** कहा जाएगा और यह परिपक्वता पर बीमित राशि जिसे प्रदत्त प्रमियम और देय प्रीमियम अबोध के अनुपात से गुणा किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

I. यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम, लेकिन 3 पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है:

(ए) अनुग्रह अवधि पूरी होने के बाद मृत्यु होने पर : मृत्यु चुकता बीमित राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ भी देय होंगी।

(बी) परिपक्वता पर : परिपक्वता पर चुकता बीमित राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ भी देय होंगी।

II. यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो:

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहां कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, निम्नांकित स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि लागू होगी।

स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि:

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत ''स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि'' पहली अदत्त प्रीमियम (एफयूपी) की देय तिथि से वह अवधि होगी, जिसमें अनुग्रह अवधि शामिल है। स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि की लागू अवधि निम्नानुसार होगी:

(ए) यदि किसी पॉलिसी के संबंध में कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की, लेकिन पांच पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है: तो पहली अदत्त प्रीमियम (एफयूपी) की देय तिथि से छः महीने की स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

(बी) यदि किसी पॉलिसी के संबंध में कम से कम पांच पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है: तो पहली अदत्त प्रीमियम (एफयूपी) की देय तिथि से दो वर्ष की स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

ए. स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

(1) अनुग्रह अवधि के पूरा होने के बाद, लेकिन स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर: एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ का भुगतान (ए) मूल पॉलिसी के संबंध में ब्याज सहित अदत्त प्रीमियम (ब्याज दर पॉलिसियों के पुनर्चलन पर लागू दर के समान होगी) की कटौती के बाद किया जाएगा, जो मृत्यु की तिथि तक होगी और (बी) मूल पॉलिसी के लिए शेष प्रीमियम (यदि कोई हो), जो मृत्यु की तिथि से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय है।

स्वतः बीमा–सुरक्षा के दौरान मृत्यु हितलाभ का यह प्रावधान स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान आत्महत्या के कारण मृत्यु होने के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 11 बी (1) या अनुच्छेद 19, के अनुसार भुगतान किया जाएगा, जो भी लागू हो।

(2) परिपक्वता पर : परिपक्वता पर चुकता बीमित राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, यदि कोई हों, भी देय होंगी।

बी. स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि की समाप्ति के बाद चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

(1) मृत्यु पर : मृत्यु पर चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त लागू दरों पर अर्जित गारंटीड अभिवृद्धियाँ, यदि कोई हो, भी देय होंगी।

(2) परिपक्वता पर: परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, भी देय होगी।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

यह अनुग्रह अवधि केवल चालू पॉलिसियों पर ही लागू होती है। यदि मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान होती है तो ऐसे में अनुच्छेद 3 (ए) के प्रावधान लागू होंगे।

राइडर हितलाभ का कोई चुकता मूल्य नहीं होगा और राइडर हितलाभ स्वतः बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान अनुग्रह अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा तथा यदि पॉलिसी कालातीत हो जाती है, तो यह लागू नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त गारंटीड अभिवृद्धियाँ :

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि पूरी पॉलिसी अवधि में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ निम्नलिखित का योग होंगी :

ए) उस अवधि के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है: पॉलिसी के अंतर्गत किसी चालू पॉलिसी के लिए लागू दर के अनुसार अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ पॉलिसी के अंतर्गत संलग्न रहेंगी।

बी) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसके लिए पूरे वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है (उस वर्ष में, जिस पर पॉलिसी चुकता हो जाती है) और बाद के पॉलिसी वर्षों के लिए : गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ निम्नानुसार होंगी :

(i) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसके पूरे वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ उस पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी और यह लागू अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धियों का योग होगी, जो चालू पॉलिसी के लिए लागू दर के अनुसार होगी और पॉलिसी के चुकता होने की अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धियों का योग होगी, जिसमें चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) होगी।

(ii) पॉलिसी अवधि के दौरान आने वाले पॉलिसी वर्षों के लिए, गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के अंत में चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) के अनुसार अर्जित होंगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर, चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट है) गुणित वह कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, एवं वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, के अनुपात के बराबर होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की यह दर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत भी वही रहेगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी और वह चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) गुणित भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिक प्रीमियम के बराबर होगी। यह गारंटीकृत अभिवृद्धि उस अवधि के दौरान समान रहेगी जब तक पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहती है।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु दावा हुआ है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, उस पॉलिसी वर्ष के लिए पूरे हुए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा, जिसमें पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु दावा हुआ है (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि)।

यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में है तो राइडर कोई भी चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेगा तथा राइडर हितलाभ लागू नहीं होंगे।

12. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के अंत तक नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज (अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि) के साथ प्रीमियम के सभी बकाया का भुगतान करने और पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसा कि पुनर्चलन के समय निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पुनर्चलन प्रभावी होगा।

निगम द्वारा कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित, स्वीकृत किया जाएगा और पुनर्चलन की रसीद जारी की जाएगी।

यदि कोई राइडर है तो उस पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचाराधीन किया जाएगा, न कि अलग से।

पुर्नचलन अवधि और स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 11 में बताया गया है) एक साथ चलेंगी, अर्थात स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि पुनर्चलन की अवधि को आगे नहीं बढ़ाएगी।

13. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी का पहला वर्ष पूरा होने के बाद उसे अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने पर गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा उस अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो निम्नांकित में से अधिकतम होगा :

ए) गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और किसी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य; या

बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य।

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान की गई प्रीमियम गुणित कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू जीएसवी फैक्टर का गुणनफल होगा।

उपरोक्त प्रीमियम में कोई भी कर, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य अतिरिक्त राशि और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और वे उस पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाएगी और ये निम्नानुसार हैं:

एलआईसी की जन सुरक्षा									
कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक									
पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि (वर्ष)								
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12	90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13		90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14			90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15				90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16					90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17						90.00%	90.00%	77.27%	75.00%
18							90.00%	90.00%	77.50%
19								90.00%	90.00%
20									90.00%

किसी भी उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि गुणित उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी कारक का गुणनफल होगा।

जीएसवी की गणना के लिए, उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि और उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है, पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि शामिल होंगे। अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि पर विचार किया जाएगा।

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर लागू जीएसवी कारक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा ये उस पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाएगी और ये निम्नानुसार है:

एलआईसी की जन सुरक्षा

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर लागू जीएसवी कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि (वर्ष)								
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
3	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
4	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
5	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
6	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
7	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
8	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
9	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
10	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
11	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
12	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
13	-	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
14	-	-	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
15	-	-	-	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
16	-	-	-	-	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
17	-	-	-	-	-	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
18	-	-	-	-	-	-	35.00%	30.00%	27.06%
19	-	-	-	-	-	-	-	35.00%	30.00%
20	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य का निर्धारण और समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एम एस टी सी आई आर/एम आईएससी/ 89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024, और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप प्रतिवर्ष की जाएगी।

राइडर, यदि कोई हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा कोई अतिरिक्त हितलाभ देय नहीं होगा।

14. कुछ घटनाओं में जब्ती :

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोकी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

15. पॉलिसी का समापन :

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तुरंत एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी :

ए) वह तिथि जिस दिन मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि; या

डी) अनुच्छेद 16.डी में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

ई) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी ने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, उसे पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है; या

एफ) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

जी) अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में

16. पॉलिसी ऋण :

इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन एवं पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर उपलब्ध होगा :

ए) ऋण पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

बी) अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा :

- चालू पॉलिसियों के लिए – 80% तक
- चुकता पॉलिसियों के लिए – 70% तक

सी) ऋण पर ब्याज, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा निर्दिष्ट दर पर, निगम को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देय होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋण के लिए, पूर्ण ऋण अवधि हेतु लागू ऋण ब्याज दर, पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि को 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक में 3% जोड़कर या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, देय होगी। 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए, ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छह महीने पहले की तिथि को, जो भी ऋण स्वीकृत होने की तिथि के तुरंत बाद हो, और उसके बाद प्रत्येक छमाही पर किया जाना होता है।

डी) उपरोक्त नियत तिथियों पर ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, और जब ब्याज सहित बकाया ऋण अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाता है, तो निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। ऐसी पॉलिसियों को जब बंद किया जा रहा होगा, तब उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और बकाया ऋण राशि के अंतर का भुगतान ब्याज सहित, यदि कोई हो, पाने की पात्रता होगी।

ई) किसी भी बकाया ऋण को निकासी के समय दावे की राशि से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

17. कर :

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, समय–समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि, प्रीमियमों (मूल योजना और राइडर, यदि कोई हों, के लिए) पर पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम भी शामिल है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए भुगतान की गई कर की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय हितलाभों पर आयकर लाभों/प्रभावों के संबंध में, कृपया विवरण के लिए प्रदत्त अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

18. मुक्त अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं होता/होती है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसके प्राप्त होने पर, निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और बीमा–सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम मूल योजना और राइडर (यदि कोई हो) के लिए और स्टाम्प ड्यूटी हेतु शुल्क काटने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि को वापस कर दिया जाएगा।

19. आत्महत्या अपवर्जन:

पॉलिसी शून्य हो जाएगी:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता/लेती है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या हितलाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त स्पष्ट रूप से कुल प्रीमियम के 80% को पाने का अधिकार होगा (किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर), बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता/लेती है, तो मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) का 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकार नहीं होगा।

   यह खण्ड कालातीत पॉलिसी के अंतर्गत लागू नहीं होगा तथा ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

   आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में स्वत: बीमा–सुरक्षा के अंतर्गत छूट लागू नहीं होगी।

20. प्रतीक्षा अवधि:

यदि इस योजना को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदा जाता है, तो जोखिम शुरू होने की तिथि से पहले 90 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम द्वारा भुगतान की गई कुल प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो और मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो। हालाँकि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, ऊपर अनुच्छेद 3 (ए) में निर्दिष्ट मृत्यु हितलाभ देय होगा।

21. नमूने के लिए लाभ उदाहरण:

इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह उदाहरण अभिकर्ता/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए मानक जीवन (चिकित्सा और जीवनशैली के दृष्टिकोण से) पर लागू होता है:

बीमित व्यक्ति की आयु (निकटतम जन्मदिन)	35
पॉलिसी अवधि (वर्ष)	15
प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	10
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक
मूल बीमा राशि (रु.)	2,00,000
वार्षिक प्रीमियम (रु.)	18,160

पॉलिसी वर्ष	वार्षिक प्रीमियम (संचयी)	गारंटीकृत			गैर गारंटीकृत	देय अभ्यर्पण मूल्य
		गारंटीकृत अभिवृद्धियों सहित परिपक्वता हितलाभ	गारंटीकृत अभिवृद्धियों, यदि कोई हो, सहित मृत्यु हितलाभ	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)	
1	18160		200772	0	8370	8370
2	36320		202315	11303	18970	18970
3	54480		204631	19886	31953	31953
4	72640		207718	37698	47454	47454
5	90800		211577	47502	65614	65614
6	108960		216208	57495	86530	86530
7	127120		221610	67705	110280	110280
8	145280		227785	84410	136861	136861
9	163440		234731	102968	166316	166316
10	181600		242449	123488	198541	198541
11	181600		250167	133655	212787	212787
12	181600		257885	144217	228061	228061
13	181600		265603	155242	244472	244472
14	181600		273321	185436	262097	262097
15	181600	281039	281039	191804	281039	281039

टिप्पणी : देय अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, वह होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) का निर्धारण और समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ संख्या : आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्र के अनुसार की जाएगी।

22. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

iv) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकराम गुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

23. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान, समय-समय पर यथा संशोधित, लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण – एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत

तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

24. छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएँ दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी निकटतम सूक्ष्म बीमा इकाई/शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छ: दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई – 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512